संख्या- 1854/14-2-2016-800(128)/2016

प्रेषक,

अशोक कुमार,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/
नोडल अधिकारी
उ0प्र0, लखनऊ।

वन एवं वन्य जीव अनुभाग-2 लखनऊ, दिनांक 31 अगस्त 2015

विषय- बी0एस0एन0एल0 द्वारा इटावा में एन0एच0-83 किमी0 0.000 से 22.40 तक बांयी पटरी के किनारे ओ0एफ0सी0 बिछाने हेतु 1.008 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं मैनपुरी में किमी0 52.50 से किमी0 22.40 तक बांयी पटरी पर ओ0एफ0सी0 बिछाने हेतु 1.354 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग कुल 2.362 हे0 संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या-297/ओ0एफ0सी0, बी0एस0एन0एल, (समेकित), दिनांक 10-8-2016 तदक्रम में भारत सरकार, पर्यावरण् वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ के सैद्वांतिक स्वीकृति संख्या-8बी/यू0पी0/09/ 40/ 2015/ एफसी/1000, दिनांक 18-11-2015 व विधिवत स्वीकृति संख्या-8बी/यू0पी0/09/40/2015/ एफसी/208, दिनांक 01-8-2016 का सन्दर्भ ग्रहण करें।

2- इस संबंध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि बी0एस0एन0एल0 द्वारा इटावा में एन0एच0-83 किमी0 0.000 से 22.40 तक बांयी पटरी के किनारे ओ0एफ0सी0 बिछाने हेतु 1.008 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं मैनपुरी में किमी0 52.50 से किमी0 22.40 तक बांयी पटरी पर ओ0एफ0सी0 बिछाने हेतु 1.354 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग कुल 2.362 हे0 संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रदत्त स्वीकृति तथा राज्य सरकार की शर्तो/प्रतिबन्धों को सम्मिलित करते हुए एतद्द्वारा विज्ञप्ति निर्गत की जाती हैं-

(1) भा0स0 वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

(2) भा0स0 प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा प्रभावित वन भूमि के दुगुने अवनत वन भूमि पर अर्थात 4.724 (इटावा वन प्रभाग के अन्तर्गत 1.008×2=2.016हे0+ मैनपुरी वन प्रभाग 1.354×2=2.708हे0=4.724 हे0) पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव किया जायेगा । उक्त वृक्षारोपण का कार्य विधिवत स्वीकृति जारी होने के 01 वर्ष के भीतर पूर्ण किया जायेगा।

(3) भा0स0 परियोजना के निर्माण् व रख-रखाव के दौरान आस-पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचायी जायेगी।

(4) भा0स0 प्रस्तावित वन भूमि के अतिरिक्त आस-पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने व भरने का कार्य नहीं किया जायेगा।

shasanadesh.up.nic.in/gofira

(5) प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।
भा0स0

(6) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई
भा0स0 गैस/किरोसिन तेल की आपूर्ति की आयेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो।

(7) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वन क्षेत्र के आस पास मजदूरों/स्टाफ के लिये
भा0स0 किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जायेगा।

(8) प्रस्तावित वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया
भा0स0 जायेगा। प्रत्येक पीलर पर क्रमांक डी0जी0पी0एस0 निर्देशांक Backward एण्ड Forward bearing एवं अपने निकटवर्ती पीलर से दूरी दर्शायी जायेगी। उक्त सीमांकन का कार्य विधिवत स्वीकृति जारी होने के तीन माह के भीतर पूर्ण जायेगा।

(9) ओ0एफ0सी0 डालने हेतु उत्सर्जित मलवे को ठीक प्रकार से उसी जगहपर भ्रा जायेगा एवं
भा0स0 शे्ष मलवे यदि हो तो उसे गैर वनक्षेत्र में निस्तारित किया जायेगा।
(10) ओ0एफ0सी0 डालने हेतु खुदाई 0.45 मीटर चौड़ाई में ही की जायेगी।
भा0स0

(11) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित योजना में किसी भी वृक्ष का पातन नहीं किया जायेगा
भा0स0 एवं खुदाई के दौरान किसी भी वृक्ष की जड़ों को नुकसान नहीं पहुंचाया जायेगा, खुदाई सुरक्षित रूप से की जायेगी।

(12) प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी
भा0स0 नियम,कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगी।

(13) प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक
भा0स0 अनुपालन होने की स्थिति में केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृति का निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।

(14) ओ0एफ0सी0 केबिल/टेलीफोन लाइन/मार्गो/सड़कों/वर्तमान अधिकारधारिता में प्रयुक्त रास्तों के किनारे -किनारे ही बिछाये जायेंगे।

(15) ओ0एफ0सी0 केबिल/टेलीफोन लाइन हेतु खोदी गयी ट्रेन्च की साइज 1.65 मीटर गहरी एवं 0.45 मीटर चौडी से अधिक न होगी।

(16) प्रस्तावक एजेन्सी द्वारा खोदी गयी ट्रेन्च को इस तरह से भर कर कम्पैक्ट करना होगा कि भू-क्षरण की सम्भावना न हो।

(17) प्रस्तावक एजेन्सी द्वारा स्थानीय नियमों के अधीन वन विभाग से अनुमति प्राप्त की जायेगी।

(18) वनभूमि के उपयोग के बाद उसका मूल स्वरूप पुन: लाने व वनों एवं पर्यावरण में होने वाली क्षति की प्रतिपूर्ति के बारे में प्रस्तावक विभाग द्वारा लिखित सहमति दी जायेगी।

(19) प्रस्तावक विभाग द्वारा अनुरक्षण का कार्य सम्पादन से पूर्व वन विभाग की पूर्व अनुमति ली

shasanadesh.up.nic.in/so/intra

जायेगी।

(20) भूमि का सरफेस राइट्स (Surface Right) नहीं दिया जायेगा एवं वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा अर्थात् भूमि का स्वामित्व पूर्व की भांति यथावत् बना रहेगा।

(21) कार्यदायी संस्था द्वारा प्रदेश में किसी एक स्थान पर 20 किमी0 तीन लाइनों में वृक्षारोपण कराया जायेगा।

(22) प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भू-स्वामी से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।

(23) प्रयोक्ता एजेन्सी के पास वैध व अधिकृत लाइसेन्स हो तथा उसे कार्य करने का सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त हो

(24) भारत सरकार के पत्र संख्या- 5-3/2007 एफसी (पीटी), दिनांक 19-8-2010 तथा पत्र संख्या- J-11013/41/2006-IA-II(I), दिनांक 02 दिसम्बर, 2009 के अनुसार प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्होंने, यदि लागू है तो (if applicable), कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व सक्षम स्तर से पर्यावरणीय अनापत्ति/अनुमोदन तथा वन्य जीव की दृष्टि से स्टैंडिग कमेटी ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ से अनुमोदन अलग-अलग प्राप्त कर लिया गया है

(25) यदि प्रश्नगत भूमि सेन्चुरी/नेशनल पार्क में सम्मिलित है, तो मा0 उच्चतम् न्यायालय से अलग से अनुमति प्राप्त करने की कार्यवाही कर ली गयी हैं।

(26) समस्त वैधानिक/प्रशासनिक अनापत्ति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(27) उपरोक्त के अतिरिक्त समय-समय पर केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/मा0 न्यायालयों द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।

भवदीय,

(अशोक कुमार)
विशेष सचिव।

संख्या1854(1)/14-2-2016-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1)- मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय) भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय,लखनऊ।

(2)-मुख्य वन संरक्षक, कानपुर मण्डल, कानपुर ।

(3)- जिलाधिकारी, इटावा व मैनपुरी।

(4)- प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग इटावा एवं मैनपुरी।

(5)- मण्डल अभियन्ता, दूर संचार परियोजना, चतुर्थ तल टैक्स भवन, आगरा।

(6)- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(भूपेन्द्र बहादुर सिंह)
अनुसचिव।

shasnadesh.up.nic.in/gofirtra